कोरोना पर न राजनीति की, न आंकड़े छिपाए : मंडाविया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

सरकार ने मंगलवार को कोरोना महामारी को लेकर राजनीति करने और आंकड़े छिपाने के आरोपों को सिरे से नकार दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि जिन राज्यों में कोरोना प्रबंधन की दिशा में बेहतर काम हुआ है, उनकी खुलकर सराहना की गई है और यह नहीं देखा गया कि उन राज्यों में किस दल की सरकार है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना महामारी के चर्चा में ज्यादातर सदस्यों ने, जो अच्छा हुआ उसका श्रेय अपने राज्य की सरकार को दिया लेकिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया। सरकार में सबकी मिली-जुली जिम्मेदारी होती है। मंडाविया उच्च सदन में देश में कोरोना महामारी का प्रबंधन, टीकाकरण का कार्यान्वयन और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए नीति और चुनौतियां विषय पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब दे रहे थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद उन राज्यों की सराहना की, जहां बेहतरीन काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। 130 करोड़ जनता जब एक साथ संकल्प करेगी कि हमें महामारी की तीसरी लहर को नहीं आने देना है तो क्या वह लहर आ पाएगी? कोरोना महामारी को लेकर राजनीति करने और आंकड़े छिपाने के आरोपों को नकारते हुए मंडाविया ने कहा कि राज्यों ने जब स्वयं श्रेय मांगा, तो प्रधानमंत्री ने इससे इनकार नहीं किया। राज्यों ने टीके आयात करने की अनुमति मांगी तो उन्हें यह अनुमति दी गई।

बच्चों के लिए दो कंपनियां कर रही है टीकों का परीक्षण : मंत्री

सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश की दो टीका निर्माता कंपनियां बच्चों के लिए कोरोना रोधी टीकों का परीक्षण कर रही हैं और उम्मीद जताई कि इन परीक्षणों के सफल होने पर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने साथ में यह आश्वसन भी दिया कि कोरोना विषाणु महामारी की पहली और दूसरी लहर के आंकड़ों को देखते हुए बच्चों को लेकर अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी सरकार इस मामले में पूरी तैयारिया कर रही है। मंडाविया ने मंगलवार को राज्यसभा में कोरोना को लेकर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की दो कंपनियां इस दिशा में काम कर रही है। जायडस कैडिला ने इसे लेकर परीक्षण शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत बायोटैक कंपनी ने भी यह परीक्षण शुरू कर दिया है।

2.27 करोड़ की नकदी जब्त

अहमदाबाद, 20 जुलाई (भाषा)।

गुजरात के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को कहा कि उसने एक सरकारी अधिकारी के पास से रिकार्ड 2.27 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं, जिसे 16 जुलाई को कथित तौर पर 1.21 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

गुजरात एसीबी ने एक विज्ञप्ति में इसे अपने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती बताया।

विधि प्रवेश परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) 2021 को स्थगित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। क्लैट 23 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के एक पीठ ने कहा कि आखिरी वक्त पर इस तरह की मांग नहीं की जा सकती। ऐसा करने से करीब अस्सी हजार छात्रों के दिमाग में उलझन पैदा होगी। अदालत ने अलबत्ता आयोजक संस्था को हिदायत दी कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। पर छात्रों पर टीके लगवाने के लिए किसी तरह का दबाव न बनाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 14 जून की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ सतर्कता बरता जाना जरूरी है। पर ज्यादातर परीक्षार्थी 18 साल से कम उम्र के होने के कारण कोरोना के टीके नहीं लगवा सकते। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का समूह 14 जून को सूचना जारी कर चुका है कि क्लैट 23 जुलाई को होगा। इसमें कागज और पेन का इस्तेमाल कोविड के सुरक्षा प्रोटोकाल को अपनाते हुए किया जाएगा। छात्रों को टीका लगवाने की सलाह दी गई थी।

तमिलनाडु के निजी अस्पतालों में होगा मुफ्त टीकाकरण

कोयंबटूर, 20 जुलाई (भाषा)।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यन ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों के जरिए मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए शुरू की जाने वाली इस योजना के लिए निजी कंपनियों द्वारा दी गई 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (सीएसआर) निधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुब्रमण्यन ने यहां संवाददाताओं को बताया कि इस संबंध में कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड और सलेम के 117 निजी अस्पतालों से बात की गई है और सबसे पहले कोयंबटूर में इस योजना की शुरुआत की जाएगी और बाद में राज्य के अन्य हिस्सों में इसका विस्तार किया जाएगा।

एक राज्य से दूसरे राज्य में एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये विज्ञापन

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 तथा सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली, 2009 के नियम 17(4) के मामले में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, धारा 13(2) के मामले में

तथा

मोनेक्स इन्फ्राटेक एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय है: फ्लैट नं. 754, गुरू को-ऑपरेटिव जीएचएस, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085, के मामले में

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"रा.रा. क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने में एलएलपी को सक्षम बनाने के लिये सोमवार, 12 जुलाई, 2021 को आयोजित पार्टनरों की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली, 2009 के नियम 17 के साथ पठित सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अंतर्गत मोनेक्स प्रमोटर्स एलएलपी आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उपरोक्त पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक एलएलपी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पास अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति जमा करें या जमा कराऐं या पंजीकृत डाक से भेजें।
फ्लैट नं. 754, गुरू को-ऑपरेटिव जीएचएस, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085

कृते एवं के लिये
मोनेक्स इन्फ्राटेक एलएलपी
हस्ता./-
नरेन्दर सिंह मलिक
(पदनामित पार्टनर)
DIN: 00239396
पता: एच. नं. 754, गुरु अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-14, दिल्ली-110085

तिथि: 20.7.2021
स्थान: दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 तथा कम्पनी (निगमन) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के अनुसार]

क्षेत्रीय निदेशक
कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय, उत्तरी क्षेत्र. नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 और कम्पनी (निगमन) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के मामले में

तथा

कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनी शुल्के इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-24/10 (प्रथम तल), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, दिल्ली-110044 पर है

...याचिकाकर्ता

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में परिवर्तित करने के लिए 21 मई, 2021 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था नियमावली में परिवर्तन का सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार के पास आवेदन दाखिल करेगी।
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत पते पर भी भेजेगा :
ए-24/10 (प्रथम तल), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, दिल्ली-110044

कृते एवं हिते
मैसर्स शुल्के इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ह./- दीप शर्मा
(प्रबन्ध निदेशक)
डीआईएन : 07029794
पता : फ्लैट नं. 4201 एटीएस ग्रीन 2, सेक्टर 50, नोएडा-201301
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 जुलाई, 2021 उत्तर प्रदेश, भारत

प्रपत्र सं. एनसीएलटी 3ए

(एनसीएलटी नियमावली, 2016 के नियम 35)

आवेदन के विवरण का विज्ञापन
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के अंतर्गत
सीपी नं. 106/131/एनडी/2021
मामले में
गोकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

गोकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (आवेदक) द्वारा 30 जून, 2021 को वित्त वर्ष 2019-2020 के वित्तीय विवरण के स्वैच्छिक पुनरीक्षण के लिये माननीय एनसीएलटी, दिल्ली पीठ की अनुमति प्राप्त करने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा उक्त आवेदन पर 12 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के कोर्ट-V, नई दिल्ली पीठ के समक्ष सुनवाई निर्धारित की गई है। यदि प्रस्तावित आवेदन द्वारा किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो अथवा जो आवेदन अथवा सुनवाई के संदर्भ में उसका विरोध या समर्थन करना चाहते हों, वे अपने हित की प्रकृति तथा विरोध के कारणों को दर्शाते हुए अपने आशय की सूचना संबंधित पीठ तथा आवेदक अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के पास इस तरह से भेजें ताकि वह सुनवाई की निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व उनके पास पहुंच जाये। यदि वे आवेदन का विरोध करना चाहते हों तो उस सूचना के साथ विरोध के कारणों या शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत करें। उसके लिये निर्धारित शुल्कों के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आवेदक द्वारा उसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।
तिथि: 21.7.2021

गोकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
के प्राधिकृत प्रतिनिधि
दिवांशु मित्तल
दिवांशु मित्तल एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सेक्रेट्रीज एंड आईपी कन्सल्टेन्ट्स
पता: 86, कृष्णा विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान-302018
ईमेल: csdivanshu@outlook.com
मोबाईल: +91 9602666775

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

पाथदर्शी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U45200DL2009PTC193369)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **बी-47/जी-2 दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'** से **'बिहार राज्य'** में स्थानांतरित करने के लिए **15 जुलाई 2021** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

बी-47/जी-2 दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
पाथदर्शी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
प्रशांत सिंह (निदेशक)
डीआईएन: 07708795
दिनांक: 20.07.2021
स्थान: दिल्ली

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (डब्ल्यूबी)-II
दिल्ली जल बोर्ड
कमरा सं. 29, बी-बिल्डिंग, वरुणालय, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110015
"कोरोना रोकें: मॉस्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें"
प्रेस निविदा सूचना सं. 01/2021-22

क्रम सं.	मद का नाम	अनुमानित लागत	ई-प्रापण सॉल्यूशन द्वारा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (डब्ल्यूबी)-II के अंतर्गत डीबीओ आधार पर तिहाड़ लेक, तिहाड़ गाँव, दिल्ली का जीर्णोद्धार। निविदा आईडी: 2021_DJB_206015_1	डीबीओ आधार	20.8.2021 के 3:00 बजे अप. तक

अधिक विवरणों के लिये https://govtprocurement.delhi.gov.in देखें।

हस्ता./-
रमेश कुमार गुप्ता
कार्यपालक अभियंता
(डब्ल्यूबी)-II

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 202(2021-22)

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (पूर्व) I
एम-16 मयूर विहार, पॉकेट ई, फेज II, नई दिल्ली-110091
कोरोना रोकें: 1. अपना हाथ धोते रहें, 2. मॉस्क पहनें, 3. सामाजिक दूरी का पालन करें
प्रेस निविदा सूचना
एनआईटी सं. 13/ईस्ट-I/(2021-22)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित अनुबंध मूल्य (ईसीबी)/ निविदा राशि	धरोहर राशि (ईएमडी)	निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि एवं निविदा आईडी नं.	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	पूर्व-I में एसी-55 में 23 ब्लॉक त्रिलोकपुरी यूजीआर में ट्यूबवेल का बोरिंग एवं संस्थापन	3836021.00	कार्यालय मेमोरैंडम सं. F. 9/4/2020-PPD तथा DJB एम्डोर्जमेन्ट सं. DJB/20-21/Misc-II (PT)/971 तिथि 23.12.2020 द्वारा छूट दी गई	500/-	16.7.2020 2021_DJB_205916_1	2.8.2021 के 3.15 अप. में
2.	पूर्व-I में एसी-57 में बीपीएस मंडावली फेज-I तथा फेज-2 में ट्यूबवेल का बोरिंग एवं संस्थापन	4186925.00		500/-	16.7.2020 2021_DJB_205916_3	2.8.2021 के 3.15 अप. में

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

हस्ता./-
(प्रताप सिंह)
कार्यपालक अभियंता (पूर्व) I

पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी)
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2021-22/198

ORIENT BELL LIMITED
CIN: L14101UP1977PLC021546
Regd. Off.:- 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P.
Corp. Off : Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046
Tel.: +91-11-47119100, Email : investor@orientbell.com, Website : www.orientbell.com

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 26th day of July, 2021 at New Delhi, to interalia, inter-alia, to consider and approve the Un-audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the quarter ended 30.06.2021.
Further, the details of this notice are available on Website of the Company at www.orientbell.com and also on the Websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India (www.nseindia.com).

Place : New Delhi
Date : 19.07.2021
orientbell tiles
For Orient Bell Limited
Sd/-
Yogesh Mendiratta
Company Secretary

ऐक्सिस बैंक
पंजीकृत कार्यालय: 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **ऐक्सिस बैंक लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 9 के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणीयों को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि लौटाने के लिये निर्मित किया। ऋणी के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य निम्नलिखित दिनांको को ग्रहण कर लिया है। ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार, **ऐक्सिस बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी/सहऋणी का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं राशि (रू. में)	कब्जे की दिनांक
मैसर्स बायन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक) श्रीमती किरण पालीवाल (गारन्टर) श्री जगदीश चन्द्र पुरोहित और श्री तपेश कुमार पुरोहित (गारन्टर)	1. अराजी में औद्योगिक संपत्ति नं 1877/1271 बम्बुक, केलवा, राजसमंद- 313334 क्षेत्रफल 14325 वर्ग फीट. 2. अराजी में प्लॉट नं. 401/2, 406/1, रेवन्यू ग्राम केलवा, एचपी पेट्रोल पम्प के पास, राजसमंद, राजस्थान -313324 क्षेत्रफल 1538 वर्ग मीटर	23/04/2021 रूपये 1,43,78,058.86/- + ब्याज एवं लागत	19.07.2021
श्री राम लखन डिसानिया पुत्र श्री जगदीश प्रसाद (आवेदक/बन्धककर्ता) श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री राम लखन डिसानिया (सह-आवेदक)	फ्लैट नं. जी-1, भू-तल, ब्लू हाइट्स, प्लॉट नं. 43, गोवर्धन कॉलोनि न्यू सांगानेर रोड जयपुर राम लखन डिसानिया से संबंधित है।	10/09/2020 रूपये 55,22,373.72/- + ब्याज एवं लागत	19.07.2021

उपरोक्त वर्णित ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार को 30 दिवस का भुगतान हेतु नोटिस दिया जाता है अन्यथा इस नोटिस के प्रकाशन से 30 दिवस की समयावधि पूर्ण होने पर बंधक संपत्ति प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार बेच दी जाएगी।
ऋणियों को सचेत किया जाता है कि वे सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय में प्रतिभूत आस्तियों का मोचन करवा लेवें।
दिनांक : 21.07.2021
हस्ता/-(प्राधिकृत अधिकारी), ऐक्सिस बैंक लिमिटेड

ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक घोषणा-
केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड
भारतीय दिवाला तथा दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32 एवं 33 के तहत)

एतद्वारा नीचे तालिका में वर्णित विवरणों के अनुसार गोइंग कन्सर्न पर समग्र रूप से कॉर्पोरेट देनदार के अधिग्रहण हेतु केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापनाधीन ("कॉर्पोरेट देनदार") के परिसमापक द्वारा आयोजित की जाने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में इच्छुक संविदाकारों से संविदाओं के आमन्त्रण हेतु व्यापक जनसमुदाय को सूचना दी जाती है। ई-नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन ई-नीलामी एजेन्सी, ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर शनिवार, 11.09.2021 को या ऐसी किसी बाद की तिथि, जैसा परिसमापक द्वारा संविदाकारों को सूचित किया जाये, को सम्पन्न की जायेगी।

	प्रासंगिक विवरण	
1	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	19.07.2007
3	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, मुम्बई (महाराष्ट्र)
4	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U45400MH2007PTC234297
5	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय का पता	स्वस्तिक चेम्बर्स, 6ठा तल, सियोन ट्रांम्बे रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071, महाराष्ट्र।
6	कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन प्रारम्भ होने की तिथि	27.12.2019
7	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता तथा पंजीकरण संख्या	सीएस विनीत के चौधरी, IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246 प्रक्रिया विशिष्ट ई-मेल आईडी : liquidatorksspetron@vkcindia.com आईबीबीआई के साथ पंजीकृत ई-मेल आईडी : ip.vineetchaudhary@gmail.com डी-38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049
8	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय : 11.09.2021 को 11:00 बजे पूर्वा. नीलामी समाप्त होने की तिथि एवं समय : 11.09.2021 को 05:00 बजे अप.
9	नीलामी प्लेटफॉर्म विवरण	http://ncltauction.auctiontiger.net
10	प्रक्रिया दस्तावेज प्राप्त करने की रीति	ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम एवं शर्तें प्रक्रिया दस्तावेज में उपलब्ध हैं जिसे संविदाकार द्वारा कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट https://www.ksspetron.in डाउनलोड करके या liquidatorksspetron@vkcindia.com के ईमेल पर निवेदन भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
11	ईओआई तथा संविदा जमा करने की रीति	संविदा ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होगी। ई-नीलामी प्रक्रिया संचालित होने की रीति प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट https://www.ksspetron.in पर अपलोड है या liquidatorksspetron@vkcindia.com के ईमेल पर निवेदन भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
12	बिक्री का माध्यम	बिक्री का माध्यम खुली ई-नीलामी है जिसमें संविदाकार खुली विंडो के दौरान उच्चतम संविदा देख सकते हैं।
13	समय-सीमा तथा ईएमडी सहित पात्रता मानदण्ड एवं अन्य विवरण	जैसा प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट पर अपलोड है या liquidatorksspetron@vkcindia.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
14	आरक्षित मूल्य तथा संविदा वृद्धि राशि	रु. 90 करोड़; संविदा वृद्धि रु. 1.50 करोड़ के गुणक में होगी

इसमें निहित कुछ भी बाध्यकारी प्रस्ताव या समग्र रूप से गोइंग कन्सर्नआधार पर कॉर्पोरेट देनदार के अधिग्रहण हेतु कोई प्रतिबद्धता निर्मित करेगा।
गोइंग कन्सर्न आधार पर समग्र रूप से कॉर्पोरेट देनदार का अधिग्रहण कॉर्पोरेट देनदाव या परिसमापक द्वारा बिना किसी प्रतिनिधान, वारंटी या इन्डेम्निटी के 'जहाँ है जैसे है', 'जो है यही है', 'जैसा है ऐसा ही है' तथा 'उपचार रहित' आधार पर होगा। ई-नीलामी भारतीय दिवाला तथा दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होगी। संभावित संविदाकार को यह ध्यान रखना होगा कि गोइंग कन्सर्न आधार पर समग्र रूप से कॉर्पोरेट देनदार का अधिग्रहण परिसमापक के एकमात्र विवेक, संभावित संविदाकार के क्रीडेंशियल की समीक्षा के आधार पर तथा प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार, इस सार्वजनिक घोषणा, दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 ('संहिता'), उसके तहत प्रासंगिक विनियमों के अनुसार किया जायेगा। परिसमापक के पास बिना कोई कारण बताए अथवा किसी दायित्व या लागतों को स्वीकार किये बिना किसी भी समय किसी समय-सीमा या उसमें किसी प्रक्रिया सहित इस आमन्त्रण को संशोधित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। उपर्युक्त समय-सीमा सहित आमन्त्रण में किसी ऐसे संशोधन को कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट http://www.ksspetron.in पर अधिसूचित किया जायेगा।
किसी अधिक सूचना या स्पष्टीकरण के लिए आप परिसमापक से 011 - 49121644-45 पर अथवा उसके टीम के सदस्य, सीएस लवकेश बत्रा से +9183989-94547 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड
ह./-
सीएस विनीत चौधरी परिसमापक
केएसएस पेट्रोन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246
liquidatorksspetron@vkcindia.com (प्रक्रिया विशिष्ट)
ip.vineetchaudhary@gmail.com (आईबीबीआई के साथ पंजीकृत)
आईबीबीआई के साथ पंजीकृत परिसमापक का पता :
डी-38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049
तिथि: 21.07.2021
स्थान : नई दिल्ली

एक राज्य से दूसरे राज्य में एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये विज्ञापन

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 तथा सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली, 2009 के नियम 17(4) के मामले में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, धारा 13(3) के मामले में

तथा

मोनेक्स प्रमोटर्स एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय है: फ्लैट नं. 754, गुरू को-ऑपरेटिव जीएचएस, प्लॉट नं. 9, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085, के मामले में

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"रा.रा. क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने में एलएलपी को सक्षम बनाने के लिये सोमवार, 12 जुलाई, 2021 को आयोजित पार्टनरों की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली, 2009 के नियम 17 के साथ पठित सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अंतर्गत मोनेक्स प्रमोटर्स एलएलपी आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उपरोक्त पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक एलएलपी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पास अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति जमा करें या जमा कराऐं या पंजीकृत डाक से भेजें।
फ्लैट नं. 754, गुरू को-ऑपरेटिव जीएचएस, प्लॉट नं. 9, सेक्ट